रूसो 'सामान्य इच्छा' (1)

सामान्य इच्छा रूसो के राजनीति दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। रूसो आधुनिक युग का एक अत्यन्त प्रतिभाशाली, फ्रांसीसी दार्शनिक था।
रूसो सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। उसकी सामान्य इच्छा और सम्प्रभुता में घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो के योगदान को एक ही शब्द में व्यक्त करना है तो उसके लिए 'सामान्य इच्छा का सिद्धान्त' पर्याप्त होगा। जहाँ 'बोदाँ' तथा हॉब्स ने सम्प्रभुता को शासन में निहित कर निरंकुश एवं निरपेक्ष राज्य का समर्थन किया तथा 'लॉक' ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार पर सीमित तथा संवैधानिक सत्ता को श्रेष्ठ माना है वहीं रूसो इन विचारकों के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि सम्प्रभुता को शासक के बजाए जनता में निहित किया जाए तो निरंकुशवाद को रोका जा सकता है। अतः उसने लोकप्रिय सम्प्रभुता का प्रतिपादन किया।

इस प्रकार रूसो एक ऐसे सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राजनीतिक समाज का प्रतिपादन करता है जिसके संचालन की शक्ति सदा सक्रिय रहने वाली एक सामान्य इच्छा होती है।

रूसो के सामाजिक समझौते का मुख्य विषय समझौते द्वारा उत्पन्न होने वाला राज्य है। उसके अनुसार समझौता द्वारा जिस नैतिक या सामुहिक सत्ता का जन्म होता है उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, अलग जीवन और अलग इच्छा होती है, इसे ही वह सामान्य इच्छा कहता है। सामान्य इच्छा के नियंत्रण में समाज के सभी सदस्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति को समर्पित कर देते हैं। रूसो की भावना है कि राज्य व्यक्तियों का एक मृत ढेर नहीं बल्कि एक सजीव आदेश है, वास्तविक रूप है, जिसकी अपनी एक इच्छा होती है। राज्य में रहकर व्यक्ति में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ भावना तथा वासना के स्थान पर नैतिक स्वतन्त्रता आ जाती है। यह परिवर्तन व्यक्तियों में तब आता है जब वे समाज के स्व-निर्मित नियमों का पालन करते हैं। यह अवस्था राज्य में ही सम्भव है। रूसो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की दो प्रकार की इच्छा होती है :

(i) एक विशेष इच्छा — जो मनुष्य में मनुष्य होने के नाते होती है। ये व्यक्तिगत, अविवेकपूर्ण, स्वार्थी, अस्थायी या क्षणिक होती है।

(ii) सार्वजनिक इच्छा — जो मनुष्य में नागरिक होने के नाते होती है। सार्वजनिक इच्छा स्थायी, विवेकपूर्ण एवं सामाजिक कल्याण के हित में होती है। यह इच्छा नागरिकों के बौद्धिक चिन्तन का परिणाम है एवं व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होती है इसलिए इसे वास्तविक इच्छा भी कहते हैं।

'सामान्य इच्छा' की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए तत्कालिक इच्छा (Actual will) और तात्विक इच्छा (Real will) में अन्तर करना आवश्यक है। तत्कालिक इच्छा वह है जिसे व्यक्ति क्षणिक आवेश में अनुभव करता है। यह परिवर्तनशील एवं क्षुद्र कोटि की इच्छा है। दूसरी ओर तात्विक इच्छा नित्य निर्विकार है; यह परम कल्याण पर आधारित है। यह तर्क-बुद्धि पर आधारित होती है।

जब कोई व्यक्ति अपने वैयक्तिक हित को सामान्य हित के स्वाभाविक अंश के रूप में देखता है तो वह तात्विक इच्छा को व्यक्त करता है। जब वह स्वार्थ से प्रेरित होकर सामान्य हित के प्रति उदासीन हो जाता है, तब उसके मन में जो इच्छा पैदा होती है,

③

की ~~दूसरी ओर~~ (इन्सान हर जगह बेड़ियों में जकड़ा है) तो दूसरी ओर आशा करता है कि सभी लोग लोकतन्त्रीय व्यवस्था में सच्चे हों। यथार्थ और आदर्श के बीच की दूरी को मुक्त कर रूसो ने लोकतन्त्र को पूर्ण सत्तावाद के साथ मिला दिया है। इसके बावजूद 'सामान्य इच्छा' की संकल्पना का सर्वोत्तम गुण यह है कि यह राजनीतिक प्रयास को निश्चित दिशा प्रदान करती है और ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जिसकी ओर प्रत्येक लोकतन्त्रीय समाज को अग्रसर होना चाहिए। यह व्यक्तियों को स्वार्थमूलक इच्छाओं पर 'सामान्य हित' के विचार को प्रधानता देकर लोकतन्त्र के उज्ज्वल पक्ष को ~~प्रकाशमा देकर~~ उजागर करती है। ग्रीन ने भी कहा है कि 'राज्य का आधार इच्छा है, बल प्रयोग नहीं'। रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धान्त राजनीतिशास्त्र के विचारों के लिए एक आदर्श रूप में है। अन्त में, जहाँ प्लेटो और अरस्तू ने केवल श्रेष्ठ शासन पर बल दिया एवं जहाँ लॉक ने केवल स्वायत्त शासन पर बल दिया है, वहाँ रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धान्त श्रेष्ठ शासन और स्वायत्त शासन में समन्वय स्थापित करता है, क्योंकि एक ओर सामान्य इच्छा सार्वजनिक हित पर जोर देती है तो दूसरी ओर यह समस्त समुदाय की इच्छा भी होती है।